

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(11)नवि/मसूदा(ब्यावर)/2026-18390

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षर

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को मसूदा (जिला अजमेर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2047 तैयार करने हेतु नियुक्त करती है :-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील का नाम
1.	मसूदा	MASUDA	मसूदा
2.	कुशलपुरा	KUSHALPURA	मसूदा
3.	रतनपुरा	RATANPURA	मसूदा
4.	किशनपुरा	KISHANPURA	मसूदा
5.	भगवानपुरा	BHAGWANPURA	मसूदा
6.	देवपुरा	DEVPURA	मसूदा
7.	लालावास	LALAWAS	मसूदा
8.	जसवन्तपुरा	JASWANTPURA	मसूदा
9.	राघपुरा	RAGHPURA	मसूदा
10.	भवानीखेड़ा	BHAWANIKHEDA	मसूदा
11.	बस्सी	BASSI	मसूदा
12.	बचपडी	BACHPADI	मसूदा
13.	सबलपुरा	SABALPURA	मसूदा
14.	रामपुरा	RAMPURA	मसूदा
15.	गुढ़ा	GUDA	मसूदा
16.	देवमाली	DEVMALI	मसूदा
17.	धोलादांता	DHOLADANTA	मसूदा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, अजमेर।
- मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
- अधिशायी अधिकारी नगर पालिका, मसूदा जिला-अजमेर।
- अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम